प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः5/ 509 /2023–5/252/2016 (IV) लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल, 2023

विषय–स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग एवं मनरेगा से निर्मित कराये गये legacy sanitation assets की रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–S-17011/1/5248-SBM-Part(9) दिनांक 13 अप्रैल 2023 के साथ संलग्न अर्द्धशासकीय पत्र, जिसे संयुक्त रूप से सचिव, पंचायतीराज भारत सरकार, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार तथा सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 15वें वित्त आयोग एवं मनरेगा से निर्मित कराये गये legacy sanitation assets की रिपोर्टिंग निर्धारित समयान्तर्गत कराने की अपेक्षा की गई है।

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त व्यवस्था राज्यों की मॉग के क्रम में किया गया है। यह वन टाइम प्रोविजन है, जिसे एसबीएमजी–2.0 मोबाइल एप के माध्यम से रिपोर्ट किया जाना है तथा रिपोर्ट किये जाने हेतु ऐसे legacy sanitation assets लिये जाये जिनका निर्माण कार्य **01 सितम्बर 2022 से पूर्व मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग से किया गया है** लेकिन एसबीएमजी आईएमआईएस पर रिपोर्ट नही किया जा सका है। उपरोक्त कार्य (legacy sanitation assets) को सुनिश्चित करने के लिए एसबीएमजी 2.0 मोबाइल एप का अपडेटेड वर्जन 1.08 जिसे एपीआई लिंक https://sbm.gov.in/odfplus लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है, जो 15 मई 2023 तक उपलब्ध रहेगा।

अतः प्रकरण की महता एवं गम्भीरता के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, तथा ऐसे legacy sanitation assets जिनका निर्माण कार्य 01 सितम्बर 2022 से पूर्व, मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग से किया गया है, परन्तु एसबीएमजी आईएमआईएस पर रिपोर्ट नही किया जा सका उसकी शत्–प्रतिशत तत्काल रिपोर्टिंग 15 मई 2023 तक कराना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
निदेशक पंचायतीराज/मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्याः–5/ 509 /2022–5/252/2016 (IV) तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।

(एस0 एन0 सिंह)
उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः5/ 509 /2023–5/252/2016 (IV) लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल, 2023

विषय–स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग एवं मनरेगा से निर्मित कराये गये legacy sanitation assets की रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–S-17011/1/5248-SBM-Part(9) दिनांक 13 अप्रैल 2023 के साथ संलग्न अर्द्धशासकीय पत्र, जिसे संयुक्त रूप से सचिव, पंचायतीराज भारत सरकार, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार तथा सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 15वें वित्त आयोग एवं मनरेगा से निर्मित कराये गये legacy sanitation assets की रिपोर्टिंग निर्धारित समयान्तर्गत कराने की अपेक्षा की गई है।

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त व्यवस्था राज्यों की मॉग के क्रम में किया गया है। यह वन टाइम प्रोविजन है, जिसे एसबीएमजी–2.0 मोबाइल एप के माध्यम से रिपोर्ट किया जाना है तथा रिपोर्ट किये जाने हेतु ऐसे legacy sanitation assets लिये जाये जिनका निर्माण कार्य **01 सितम्बर 2022 से पूर्व मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग से किया गया है** लेकिन एसबीएमजी आईएमआईएस पर रिपोर्ट नही किया जा सका है। उपरोक्त कार्य (legacy sanitation assets) को सुनिश्चित करने के लिए एसबीएमजी 2.0 मोबाइल एप का अपडेटेड वर्जन 1. 08 जिसे एपीआई लिंक https://sbm.gov.in/odfplus लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है, जो 15 मई 2023 तक उपलब्ध रहेगा।

अतः प्रकरण की महता एवं गम्भीरता के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, तथा ऐसे legacy sanitation assets जिनका निर्माण कार्य 01 सितम्बर 2022 से पूर्व, मनरेगा एवं 15वें वित्त आयोग से किया गया है, परन्तु एसबीएमजी आईएमआईएस पर रिपोर्ट नही किया जा सका उसकी शत्–प्रतिशत तत्काल रिपोर्टिंग 15 मई 2023 तक कराना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
निदेशक पंचायतीराज/मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्याः–5/ 509 /2022–5/252/2016 (IV) तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) उ0प्र0।

(एस0 एन0 सिंह)
उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

No. S-17011/1/2015-SBM-Part(9)
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Grameen)

4th Floor, Pt. Deendayal 'Antyodaya Bhawan'
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi 110003
Date: 13.04.2023

To

The ACS/Principal Secretary/Secretary
In-charge of Rural Sanitation
All States/UTs

Subject: Reporting of legacy sanitation assets constructed from 15th FC and MGNREGS-regarding

Madam/Sir,

SBM(G) Phase II is being implemented in a mission mode with convergence between various schemes of Central and State Governments including 15th Finance Commission and MGNREGS. To strengthen the reporting of sanitation assets constructed in convergence with 15th Finance Commission, and MGNREGS, a Joint Advisory no. S-17011/1/2021-SBM-II-DDWS-Part (1) dated 30/08/2022 (as **enclosed** herewith) was issued. As per advisory, sanitation assets being constructed in convergence with 15th FC and MGNREGS since 1st September 2022 are being captured in SBM (G) IMIS directly through API using web services from e-GramSwaraj and MGNREGS portal.

2. During review meetings, States requested DDWS for making one time provision in SBM(G) 2.0 mobile app to report such sanitation assets which have been completed before 1st Sep 2022 through MGNREGS and 15th Finance Commission but have not been reported in SBM-G IMIS. Hence, to ensure the reporting of these legacy sanitation assets, a provision in the updated SBM(G) 2.0 mobile app with version 1.08 and downloadable through following APK link-https://sbm.gov.in/odfplus is being provided till 15th May 2023.

3. In view of above, States are requested to ensure proper due diligence while reporting of legacy data through following:

a) Only assets completed prior to 1st Sep 2022 in convergence with 15th FC and MGNREGS are to be reported.

(523)

(1284)

DD (SBM)

मिशन निदेशक
17/04/2023

DD(SBM-4)
10-4-23

b) District/Block teams should ensure that assets reported earlier in SBM-G IMIS are not captured again, so as to avoid duplication of data.

c) Proper details for these assets including their physical and financial details are obtained from concerned departments at District/Block level dealing with MGNREGS and 15th Finance Commission before reporting these assets through SBM-G 2.0 mobile app.

Kindly note that in case of any duplication or misreporting of data is found in future, the same will be addressed by the State/UT Government.

4. Therefore, in view of above, States/UTs are requested to ensure the completion of reporting of legacy sanitation assets completed from 15th FC and MGNREGS constructed prior to 1st Sep 2022 latest by **15th May 2023**.

Yours faithfully,

13/4/23

(Jitendra Srivastava)
JS&MD, SBM(G)

Encl: A/a

Copy to: Mission Director/ State Coordinator, SBM(G), All States/UTs

S-17011/1/2021-SBM-II-DDWS-Part(1)

238699/2022/SBM

Azadi Ka Amrut Mahotsav

DO No. S-17011/1/2021-SBM-II-DDWS-Part(1) Dated 30.08.2022

Dear Chief Secretaries,
All States/UTs

Currently the drinking water and sanitation assets constructed under the 15th Finance Commission, MGNREGS and Swachh Bharat Mission-Grameen (SBMG) are being separately captured through the three portals of the Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Rural Development and Department of Drinking Water & Sanitation respectively.

2. In order to remove any duplication of efforts and data reporting while capturing the assets created (a) through the respective Ministry/Department schemes and (b) through the convergence model, it is pertinent that such assets are captured on a single platform and duplicate entries are avoided.

3. In this regard, following guidelines regarding reporting of assets including community/household level assets may be adhered to:

Scenario	Online reporting portal
Assets created through convergence with MGNREGS as one of the funding sources	MGNREGS online portal
Assets created through convergence with 15th FC as one of the funding sources excluding MGNREGS	eGramSwaraj portal
Assets created through convergence with SBM-G as one of the funding sources excluding MGNREGS and 15th FC	SBM-G IMIS
Assets created exclusively with only SBM-G funds	SBM-G IMIS
Assets created exclusively with only MGNREGS funds	MGNREGS online portal
Assets created exclusively with only 15th FC funds	eGramSwaraj portal

S-17011/1/2021-SBM-II-DDWS-Part(1)

238699/2022/SBM

4. All the States/UTs are requested that the aforementioned guidelines may be brought to the notice of all the concerned authorities/officials at the Block and District levels handling the three different schemes. Appropriate directions may also be issued for taking necessary action to adhere with these guidelines from 1st **September 2022** onwards.

With best regards,

(Sunil Kumar)
Secretary
Ministry of Panchayati Raj

(Nagendra Nath Sinha)
Secretary
Department of Rural Development
Ministry of Rural Development

(Vini Mahajan)
Secretary, Department of
Drinking Water and Sanitation,
Ministry of Jal Shakti

To :

Chief Secretary
All States/UTs

Copy to:

The Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries,
In-charge of Panchayati Raj, Rural Sanitation and Rural Development
All States/UTs